चुनाव तत्काल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–भोपाल

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक /1689 /भारत निर्वा./2018 भोपाल दिनांक 30/7/18

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

विधानसभा निर्वाचन 2018 भोपाल जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण–पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविन्दपुरा एवं हुजूर की महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटिकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लंघन) की वीडियोग्राफी करनें के लिये वीडियोग्राफर से वीडियो कैमरा/डिजिटल कैमरा प्रतिनग प्रतिदिन की दर से स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी संस्थाओं से सील बंद निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत निविदा दस्तावेज जिसका मूल्य राशि रूपये 500/– है। जिले की वेबसाईड www.bhopal.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। भरी गई निविदा की पूर्णता कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के साथ सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। निविदा दस्तावेज क्रय राशि रूपये 500/– चालान द्वारा मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाये–02–निर्वाचन–800–अन्य प्राप्तियों में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति सील्ड लिफाफे में साथ में रखी जावें।

निविदा में समस्त सहपत्रों के दिनांक 06.08.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये। निविदा दिनांक 06.08.2018 को अपरान्ह 04:00 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां एवं निर्देश उपरोक्त वेबसाईड पर उपलब्ध है।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
भोपाल

पृष्ठां क्रं./1690 /भारत निर्वा./2018 भोपाल दिनांक 30/7/18

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजते हुये लेख है कि, कृपया विज्ञप्ति का दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।
03. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया, बैरागढ़, गोविन्दपुरा, टी.टी. नगर, शहर भोपाल, एम.पी. नगर एवं हुजूर की ओर अपने सूचना पटल पर चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
05. जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
06. जिला नाजिर कलेक्ट्रेट भोपाल की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जानें हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
भोपाल

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल (म0प्र0) ::

दूरभाष क्रमांक–2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

जिला भोपाल मध्यप्रदेश
दिनांक /08/2018
निविदा फार्म क्रं.–........................
मूल्य :– 500/–
चालान क्रं.................................. दिनांक ....

निविदा प्रपत्र

विधानसभा निर्वाचन 2018 वीडियोग्राफी हेतु निविदा

भाग–1 कार्य क्षेत्र एवं सामान्य शर्ते :–

विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान जिले की संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी के लिए निजी वीडियोग्राफर्स से निम्न शर्तो के अधीन मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :–

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के कार्यालय में दिनांक. 06.08.2018 को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है निविदा दिनांक 06.08.2018 को अपरान्ह 04.00 बजे खोली जावेंगी।
2. जिस निविदाकार की दर न्यूनतम होगी उसे स्वीकार किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. निविदा निर्धारित मूल प्रपत्र में प्रस्तुत की जाना चाहिए और निविदा दाता द्वारा उसे हस्ताक्षरित होना चाहिए निविदा बंद लिफाफे (जिस पर वीडियोग्राफी के लिए निविदा अंकित हो) में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पक्ष में संलग्न करें।
5. प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। जिन निविदा दाताओं की अमानत राशि जमा नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत की जावेगी तथा जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसकी अमानत राशि कार्य समाप्त होने पर तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरान्त वापिस कर दी जावेगी।
6. सफल निविदाकार को रिकार्ड के बाद वीडियो कैसेट/सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सी.डी. के विवरण पंजी सहित जमा करनी होगी।
7. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों को निम्न अन्य शर्तो का पालन करना आवश्यक है :–
   - (01) वीडियोग्राफी के कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
   - (02) निविदाकार को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निविदाकारों को किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
   - (03) निविदाकार अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा।
   - (04)सफल निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
   - (05) निविदाकार का कार्यक्षेत्र तथा आवश्यक कैमरों की संख्या परिशिष्ट–एक तथा दो के अनुसार होगी।
   - (06) निविदादाता वीडियों कैसेट पूर्ण होने तक कैसेट्स/सीडी की सुरक्षा के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होगा विडियो कैसेट पूर्ण होने पर निविदाकार तत्काल उस कैसेट को जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौपेगा।
   - (07) प्रत्येक खण्ड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।
   - (08) निविदाकार से जिस दिन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी निविदाकार को उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कैमरामैन की उपस्थित प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित कराके देने का निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।
   - (09) निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी की कार्य निर्विघ्न रूप से निरंतर चलता रहे किसी भी तरह विलम्ब अथवा रूकावट के लिए उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
   - (10) जिन निविदाकारों को निविदा स्वीकृत होगी उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रारूप के भाग दो में उन्होनें जितने वीडियों कैमरे का उल्लेख किया है वे सभी कार्य हेतु उपलब्ध रहे।
8. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हैं। निविदा पर निविदादाताओं को अपना सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. के पंजीयन क्रमांक व अवधि अंकित करना होगी। नियत सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. भुगतान की जाने वाली राशियों में से काट कर कार्यालय द्वारा जमा, खजाना किया जावेगा।